(ग) टैन में परिवर्तन हेतु अनुरोध के लिए दिशानिर्देश →
https://tin.tin.nsdl.com/tan/ChangeRequest.html
https://tin.tin.nsdl.com/tan/GuidelinesTanChangeRequest.html

आबंटित टैन के लिए टैन डाटा में परिवर्तन या संशोधन हेतु ऑनलाइन आवेदन (टैन परिवर्तन हेतु अनुरोध फॉर्म)

दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन के चरण

(क) आवेदक टैन परिवर्तन हेतु अनुरोध फॉर्म ऑनलाइन भरेगा और फॉर्म प्रस्तुत करेगा।
(ख) यदि प्रस्तुत डाटा किसी फॉर्मेट वैधीकरण स्तर पर प्रस्तुत नहीं हो पाते हैं तो गलती को इंगित करते हुए संदेश स्क्रीन पर दिखाई देगा।
(ग) आवेदक गलती को ठीक करेगा और फॉर्म पुन: प्रस्तुत करेगा।
(घ) यदि फॉर्मेट स्तर की कोई गलती नहीं है तो आवेदक द्वारा भरे गये डाटा को पुष्टिकरण स्क्रीन दिखाई देगा।
(ङ) टैन डाटा में परिवर्तन या संशोधन के लिए फॉर्म में सभी अनिवार्य फील्डों (* तारांकित किये गये) को भरें और जहां संशोधन करवाना है, वहां पर बायें मार्जिन में उपयुक्त फील्ड के बॉक्स को चुनें।
(च) टैन परिवर्तन हेतु अनुरोध 'आवेदक की श्रेणी में परिवर्तन' के लिए तभी किया जा सकता है, यदि आयकर विभाग (आईटीडी) टैन डाटाबेस में गलत श्रेणी उल्लिखित की गयी है। उदाहरण के लिए, यदि एबीसी लिमिटेड को आईटीडी टैन डाटाबेस में फर्म के रूप में श्रेणीकृत किया गया है तो श्रेणी को 'कंपनी' में परिवर्तित किया जा सकता है।
(छ) टैन निरस्त करने के लिए फॉर्म में सभी अनिवार्य फील्डों को भरें, जिस टैन को निरस्त करना है, उसे फॉर्म की मद सं.6 में लिखें और बायें मार्जिन को चुनें। निरस्त किया जाने वाला टैन वही नहीं होना चाहिए जो टैन (वर्तमान में प्रयुक्त) फॉर्म में सबसे ऊपर दिया गया है।

II भुगतान

(ज) टैन परिवर्तन अनुरोध फॉर्म के लिए शुल्क 65.00 ₹ (55.00 ₹ आवेदन शुल्क + 18% वस्तु और सेवा कर) है।
(झ) शुल्क निम्नलिखित रूप में अदा किया जा सकता है:

- डिमांड ड्राफ्ट या
- चेक या
- क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड या
- नेट बैंकिग

(ञ) डिमांड ड्राफ्ट / चेक **'एनएसडीएल - टिन'** के पक्ष में होना चाहिए।

(ट) **आवेदक का नाम तथा प्राप्तिसूचना नंबर डिमांड ड्राफ्ट / चेक के पीछे लिखा जाना चाहिए।**

(ठ) डिमांड ड्राफ्ट मुंबई में देय होगा (एनएसडीएल को भेजा जाए)

(ड) चेक द्वारा भुगतान करने वाले आवेदकों को देश भर में (दाहेज को छोड़कर) एचडीएफसी बैंक की किसी भी शाखा में स्थानीय चेक (किसी भी बैक पर आहरित) जमा करना चाहिए. आवेदक जमा पर्ची पर टैनएनएसडीएल लिखेगा. एचडीएफसी बैक की शाखाओं की सूची।

(ढ) **क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिग द्वारा भुगतान**

क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिग द्वारा भुगतान की सुविधा निम्नलिखित श्रेणियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी:

केन्द्र सरकार / राज्य सरकार तथा
सांविधिक / स्वायत्त निकाय

अन्य श्रेणियों के लिए क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिग द्वारा भुगतान करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति निम्नलिखित हैं :

आवेदक की श्रेणी	**प्राधिकृत व्यक्ति जिसका क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिग भुगतान के लिए प्रयोग किया जा सकता है**
कंपनी / कंपनी की शाखा / डिविजन	कंपनी का कोई निदेशक
व्यक्ति (एकल स्वामी) / वैयक्तिक कारोबार की शाखा	स्वयं
हिंदू अविभक्त परिवार (एचयूएफ)	कर्ता
फर्म / फर्म की शाखा	फर्म का कोई साझेदार
व्यक्तियों का संघ / व्यक्तियों का निकाय / व्यक्तियों का संघ (ट्रस्ट) / कृत्रिम विधिक व्यक्ति	धारा 140 के अंतर्गत शामिल प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड के द्वारा भुगतान करने वाले आवेदकों से भुगतान गेटवे की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक द्वारा 2% (+ वस्तु और सेवा कर) तक का अतिरिक्त अधिभार वसूल किया जाएगा।

नेट बैंकिंग के द्वारा भुगतान करने वाले आवेदकों से भुगतान गेटवे की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक द्वारा 4.00 ₹ + वस्तु और सेवा कर का अतिरिक्त अधिभार वसूल किया जाएगा।

क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिग द्वारा सफलतापूर्वक भुगतान हो जाने पर एक प्राप्तिसूचना दिखाई देगी। आवेदक को इस प्राप्तिसूचना को सेव कर उसका प्रिंट ले लेना चाहिए और नीचे खंड **'V - दस्तावेज प्रस्तुत करने का तरीका'** में उल्लिखित रूप में उसे एनएसडीएल को भेजना चाहिए।
आवेदक भुगतान के उचित ढ़ग का चयन करेगा और आवेदन में संबंधित विवरण भरेगा।

III पावती

(ण) पुष्टि करने पर और क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिग द्वारा भुगतान के मामले में सफलतापूर्वक भुगतान के बाद एक पावती स्क्रीन दिखाई देगा। पावती में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- 14 अंकों का एक विशिष्ट प्राप्तिसूचना नंब्ं
- आवेदक की स्थिति
- आवेदक का नाम
- संपर्क विवरण (पता, ई-मेल तथा टेलीफोन नंबर)
- भुगतान के ब्यौरे
- हस्ताक्षर के लिए स्थान

प्राप्तिसूचना वह फील्ड भी इंगित करेगी जिसमें परिवर्तन के लिए अनुरोध किया गया है।

(त) **आवेदक को इस प्राप्ति सूचना को सेव कर उसका प्रिंट ले लेना चाहिए।**

(थ) हस्ताक्षर / बायें अंगूठे का निशान प्राप्तिसूचना में दिये गये बॉक्स के भीतर ही रहना चाहिए। 'व्यक्तियों' से भिन्न आवेदकों के मामले में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पावती पर हस्ताक्षर करेगा।

(द) बायें अंगूठे का निशान, यदि लगाया जाता है, किसी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपनी आधिकारिक सील या मुहर के अधीन अनुप्रमाणित होना चाहिए।

IV आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज

(ध) टैन का प्रमाण (मौजूदा टैन अर्थात् वर्तमान में प्रयुक्त टैन)

(न) अभ्यर्पित / निरस्त किये जाने वाले टैन का प्रमाण, यदि कुछ है.

(प) आवेदक टैन के प्रमाण के रूप में आईटीडी से प्राप्त टैन आबंटन पत्र प्रस्तुत कर सकता है.यदि आवेदक के पास टैन आबंटन पत्र नहीं है तो वह www.incometaxindia.gov.in या www.tin-nsdl.com में उपलब्ध टैन सर्च सुविधा का

उपयोग करते हुए टैन विवरण का प्रिंट आउट प्रस्तुत कर सकता है।

(फ) टैन परिवर्तन अनुरोध में संशोधन / परिवर्तन के लिए अनुरोध के समर्थन में संबंधित दस्तावेजी प्रमाण टैन पावती के साथ एनएसडीएल को भेजा जाए।

यदि आवेदक का पता बदलकर दूसरा शहर हो जाता है और नया पता भिन्न आरसीसी (आयकर विभाग का क्षेत्रीय कंप्यूटर केन्द्र) के अंतर्गत आता है तो आवेदक को फॉर्म सं. 49बी में नये टैन के लिए आवेदन करना चाहिए।

(ब) आवेदक का पता भारतीय पता ही होना चाहिए।

V दस्तावेज प्रस्तुत करने का तरीका

संबंधित प्रमाणों के साथ विधिवत् हस्ताक्षरित पावती एनएसडीएल को निम्नलिखित पते पर भेजी जाए :

एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

5वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग,

प्लॉट नं. 341, सर्वे नं. 997/8,

मॉडल कालोनी, दीप बंगला चौक के पास,

पुणे – 411 016.

(भ) लिफाफे के ऊपर 'टैन के लिए आवेदन - पावती नंबर' अर्थात् **'टैन में परिवर्तन के लिए आवेदन - 88301020000097'** लिखें.

(म) आपकी प्राप्तिसूचना तथा डिमांड ड्राफ्ट, यदि कोई है, ऑनलाइन आवेदन की तारीख से 15 दिन के भीतर एनएसडीएल के पास पहुंच जाना चाहिए।

(य) भुगतान के तरीके के रूप में डिमांड ड्राफ्ट या चेक के साथ प्राप्त आवेदनों को संबंधित प्रमाण के प्राप्त होने और भुगतान की वसूली होने पर ही प्रोसेस किया जाएगा।

(र) भुगतान के तरीके के रूप में क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिग के साथ प्राप्त आवेदनों को संबंधित दस्तावेज (पावती और प्रमाण) के प्राप्त होने पर प्रोसेस किया जाएगा।

VI हमसे संपर्क करें :

(ल) अधिक जानकारी के लिए

- टिन कॉल सेन्टर में 020 - 2721 8080 पर फोन करें..
- फैक्स : 020 - 2721 8081
- हमें ई-मेल करें : tininfo@nsdl.co.in

एसएमएस करें NSDLTAN <स्थान छोड़े> 14 अंको की प्राप्ति सूचना नंबर टाइप करें और आवेदन की स्थिति जानने के लिए 57575 पर भेज दें।

हमें लखें :

एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

5वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग,

प्लॉट नं. 341, सर्वे नं. 997/8,

मॉडल कालोनी, दीप बंगला चौक के पास,

पुणे – 411 016.